


| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मज इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 23.03.2018 | <p>राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 160/2009 अनवान हुलासी बनाम देवाराम अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। हमने उभयपक्ष की बहस सूनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का हस्ते अप्रार्थी 6 के कायम मुकाम मोहनलाल पुत्र रामाराम का दिनांक 12.12.2017 का पेश है चुकि पत्रावली में अप्रार्थी 6 के फोट होने का कायम मुकाम का कोई प्रार्थना पत्र नहीं है इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधिकारिता के बाहर होने से खारिज किया जाता है। हमने मूल दावे की पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अनुसार मूल दावा दिनांक 24.12.2005 को खारिज हो चुका है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र की पत्रावली अकारण चलने से अततः द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।</p> <p style="text-align: center;">  23/3/2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी </p> | |